12. निर्वाचन आयोग को रिटर्निंग आफिसर की सूचना के बिना भी बूथों का बलात् ग्रहण के कारण निर्वाचन प्रत्यादिष्ट करने के लिए सशक्त किया जाए ।

13. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल प्रत्येक वर्ष अपने लेखाओं को प्रकाशित करे और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकरणों द्वारा उनकी लेखापरीक्षा की जानी चाहिए ।

14. निर्वाचन व्ययों के सही लेखाओं का न रखा जाना या विहित समय के भीतर और रीति से इसकी सही प्रति को प्रस्तुत न किया जाना, कारावास तथा जुर्माने से दंडनीय होना चाहिए और दोषसिद्धि पर अभ्यर्थी को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए ।

15. ऐसे अभ्यर्थी को जो विहित समय के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, स्वतः ही पांच वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित समझा जाना चाहिए ।

16. आदर्श आचार संहिता के अतिक्रमण का परिणाम यह होना चाहिए कि उस अभ्यर्थी का निर्वाचन जिसके पक्ष में या जिसकी सम्पत्ति से या जिसके मौनानुकूलता से अधिक्रमण कारित हुआ था, शून्य घोषित किया जाना चाहिए और उस अभ्यर्थी (यों) को छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए ।

17. राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क में विद्यमान उपबंधों को हटाया नहीं जाना चाहिए और यदि कोई दल इस धारा के अधीन दिए गए वचनबंध का अतिक्रमण करता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने के लिए एक विनिर्दिष्ट उपबंध होना चाहिए । रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होगी ।

18. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंधों का अतिक्रमण करते हैं और उसके प्रतिकूल हैं । अतः नियम बनाने का प्राधिकार पूर्णतया निर्वाचन आयोग को प्रदत्त किया जाना चाहिए । तथापि, निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा । इस प्रकार बनाए गए नियमों को सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है ।

19. मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में नामनिर्दिष्ट या पदाभिहित किए गए अधिकारी को निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के सिवाय किसी अन्य कार्य को करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए ।

20. निर्वाचन व्यय के संबंध में 1974 से पूर्व की स्थिति को बनाए रखा जाए ।

21. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में यथाअधिकथित निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए ।

22. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1991 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा ।

23. निर्वाचन आयोग को सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध जब वे निर्वाचन संबंधी कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्तियां दी जानी चाहिएं ।

तलाक के लंबित मामले

2661. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में तलाक से संबंधित कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामले निपटाए गए ;

(ग) शेष लंबित मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे ; और

(घ) उक्त तारीख की स्थिति के अनुसार, गुजरात में दायर किए गए तलाक संबंधी मामलों की जिलावार संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले को निपटाने और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)** ।

(ग) इन मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

(घ) जिला/अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासन और नियंत्रण, संबंधित राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा, इन न्यायालयों में मामलों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

न्यायालय का नाम	विवाह-विच्छेद संबंधी लंबित मामलों की संख्या	गत तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए विवाह-विच्छेद संबंधी मामलों की संख्या
उच्चतम न्यायालय	93 (3-8-94 को यथाविद्यमान)	236 (1992, 1993 के दौरान और 3-8-94 तक)
उच्च न्यायालय		
इलाहाबाद	जानकारी प्राप्त होनी है	
आंध्र प्रदेश*	311 (29-7-94 को यथाविद्यमान)	64
मुम्बई	581 (30-10-94 को यथाविद्यमान)	691
दिल्ली	129 (31-10-94 को यथाविद्यमान)	45
कलकत्ता*	28 (3-8-94 को यथाविद्यमान)	9
गुवाहटी	5 (30-6-94 को यथाविद्यमान)	163 (1-7-92 से 30-6-94 तक)
गुजरात	70 (30-7-94 को यथाविद्यमान) (हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन)	3 (30-6-92 से 30-6-94 तक)
हिमाचल प्रदेश	44 (31-10-94 को यथाविद्यमान)	22
जम्मू-कश्मीर*	15 (7/94 तक)	3
कर्नाटक*	140 (7/94 तक)	143
केरल	70 (30-10-94 को यथाविद्यमान)	48
मद्रास*	319 (30-6-94 को यथाविद्यमान)	129
मध्य प्रदेश	282 (30-10-94 को यथाविद्यमान)	202
उड़ीसा	19 (30-10-94 को यथाविद्यमान)	9
पंजाब और हरियाणा	697 (31-10-94 को यथाविद्यमान)	320
पटना	जानकारी प्राप्त होनी है।	
राजस्थान*	141 (30-6-94 को यथाविद्यमान)	170
सिक्किम	कोई नहीं (30-10-94 को यथाविद्यमान)	कोई नहीं

*इन उच्च न्यायालयों में निपटाए गए विवाह-विच्छेद संबंधी मामलों के आंकड़े गत दो वर्षों से संबंधित हैं।

गुजरात में लोक अदालतें

2662. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रति वर्ष कितनी लोक अदालतें आयोजित की गईं और इसके परिणामस्वरूप कितनी धन-राशि का मुआवजा दिया गया ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने मामले निपटाए गए ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री इंसराज भारद्वाज) : (क) और